KRITI GROUP

KNL/SE/2024-25

22nd May, 2024

Online filing at: www.listing.bseindia.com and https://neaps.nseindia.com/NEWLISTINGCORP/login.jsp

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street
Mumbai - 400 001(M.H.)
BSE Scrip ID: KRITINUT BSE CODE: 533210

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400051 (M.H.)
Symbol: KRITINUT

Sub: Announcement under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 - Newspaper clippings -Notice to the Shareholders of 28th Annual General Meeting.

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copy of Newspaper Clippings of Notice to the shareholders of **28th Annual General Meeting** published in Free Press newspaper on **Wednesday, 22nd May, 2024.**

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For, **Kriti Nutrients Limited**

Raj Kumar Bhawsar
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

एक नजर

सीएम डॉ.मोहन यादव फिर शुरू करेंगे सीपीए

भोपाल,(निप्र)। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को जहां एक ओर दिल्ली में चुनाव प्रचार की अहम जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदेश में उनके कार्यकाल का एक और फैसला बदलने की कवायद शुरू हो गई है। एमपी में लाड़ली बहना योजना लागू कर चर्चित हुए शिवराजसिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में जिस सीपीए राजधानी परियोजना को बंद कर दिया गया था उसे फिर से अस्तित्व में लाया जा रहा है। पिछले कार्यकाल में शिवराजसिंह चौहान ने जहां महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना शुरू की। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी कई सौगातें दीं। पूर्व सीएम ने कुछ गैर जरूरी उपक्रम भी बंद किए। इसके अंतर्गत मार्च 2022 में सीपीए को बंद कर इसके काम लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और नगर निगम को दे दिए गए थे। अब प्रदेश में सीपीए को फिर से अस्तित्व में लाने की पहल की जा रही है। इसके लिए मुख्य सचिव वीरा राणा ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों के अनुसार प्रस्तावित बैठक में सीपीए की समीक्षा की जाएगी। हालांकि दिशा निर्देशों में सीपीए को दोबारा अस्तित्व में लाने की बात नहीं की गई है पर इसे पुनर्जीवित करने की कवायद लगातार चल रही है। यहां तक कि प्रदेश की बीजेपी सरकार की पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर भी इसकी मांग कर चुकी हैं। मंत्री कृष्णा गौर ने सीपीए को दोबारा अस्तित्व में लाने के लिए सीएम मोहन यादव को एक पत्र भी लिखा।

बीएमएचआरसी में मिला मरीज को जीवनदान

भोपाल,(निप्र)। भोपाल में गैस पीड़ित एक मरीज के पल्मोनरी आर्टरी में खून का थक्का जम गया था। जिसका बीएमएचआरसी भोपाल में इन्टरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रक्रिया से सफल इलाज किया गया। मरीज अब पूरी तरह से ठीक है। बता दें 55 वर्षीय गैस पीड़ित मरीज के फेफड़ों की धमनी में खून का थक्का जम गया था। जिसकी वजह से थोड़ा भी चलने पर उनकी सांस फूल रही थी और वह काफी गंभीर स्थिति में पहुंच गए थे। भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में इस मरीज का रेडियोलॉजिकल इन्टरवेंशनल प्रक्रिया से छोटा सा चीरा लगाकर उपचार किया गया। मरीज की समस्या अब खत्म हो गई है। बीएमएचआरसी रेडियोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. राधेश्याम मीणा ने बताया कि मरीज सांस फूलने की शिकायत के साथ कार्डियोलॉजी विभाग की ओपीडी में आए थे।

राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण में कोताही बर्दाश्त नहीं -कलेक्टर

आष्टा,(निप्र)। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने आष्टा तहसील कार्यालय , तहसील कोर्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने पर तहसीलदार के तत्कालीन रीडर की वेतन वृद्धि , वर्तमान रीडर , हल्का पटवारी को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर प्रवीण सिंह कहा कि आमजन के राजस्व संबंधी निराकरण में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर सिंह ने तहसील कार्यालय ,तहसील कोर्ट के नामांतरण बंटवारा, सीमांकन, बटांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होने पर घोर नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसीलदार के तत्कालीन रीडर लाखन सोलंकी ने चार्ज सूची नहीं देने एवं प्रकरणों मे विलम्ब करने के लिए वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार तहसीलदार के वर्तमान रीडर कमरुद्दीन ने हल्का पटवारी अलीपुर आष्टा को समय पर अमल के लिए प्रकरण नहीं देने के लिए शोकाज नोटिस देने के निर्देश दिए। इसी प्रकार हल्का पटवारी आष्टा वीरेंद्र ठाकुर ने नामांतरण में अमल नहीं किए जाने पर शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सिंह ने तहसीलदार को निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण कराएं।

दोपहर में भीषण गर्मी, शाम को गिरी बौछार

भोपाल,(निप्र)। मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर गर्म हवाओं के साथ लू चलने का अनुमान है। वहीं कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर, मुरैना, भिंड, निवाड़ी, राजगढ़, छतरपुर और पन्ना में तेज गर्म हवाओं के साथ लू चलने का अनुमान है। जबकि भोपाल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगौन, खंडवा, बुरहानपुर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, सतना, रीवा, सिंगरौली और अनूपपुर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी भोपाल में बीते दिन यानी 21 मई का तापमान 43 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं 45.6 डिग्री के साथ रतलाम का तापमान प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। वही बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, बालाघाट और नीमच में हल्की बारिश के आसार है। एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से इन इलाकों में वर्षा हो सकती है।

भोपाल में बुधवार को भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ा। सुबह से ही सूरज के तीखे तेवर रहे, लेकिन शाम 4 बजे मौसम ने करवट बदली और आंधी-बारिश का दौर शुरू हो गया। एमपी नगर, अरेरा हिल्स, जेल पहाड़ी, गोविंदपुरा, तुलसी नगर समेत कई इलाकों में कुछ देर बारिश हुई। इसके बाद उमस का असर बढ़ गया है। वहीं, गर्म हवाएं भी चल रही है। बता दें कि मई के महीने में भोपाल में भीषण गर्मी पड़ने का ट्रेंड है। 10 में से 8 साल टेम्प्रेचर 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। साल 2016 में यह रिकॉर्ड 46.7 डिग्री रहा था। इस साल पहले पखवाड़े में गर्मी के तेवर नरम रहे, लेकिन 18 मई से भीषण गर्मी पड़ने लगी। 21 मई, मंगलवार को पारा रिकॉर्ड 43.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। बुधवार को भी सुबह से ही भीषण गर्मी रही।

दूसरे प्रदेश में मप्र की संपत्ति बेचने की तैयारी में सरकार-पटवारी

भोपाल,(निप्र)। मप्र कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि 3 लाख 73 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार देश के दूसरे राज्यों में मौजूद एमपी के अलग-अलग विभागों की संपत्ति बेचने और उसे किराए पर देने की तैयारी कर रही है। जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर जानकारी भी मांग ली है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में कितनी संपत्ति किस रूप में है। उसका मूल्य क्या है? अगर किसी प्रॉपर्टी का कोर्ट में केस चल रहा है। किसी तरह का विवाद है तो इसकी भी जानकारी दी जाए। पटवारी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए लिखा है कि इस कवायद का मकसद मध्यप्रदेश के बाहर मौजूद विभिन्न विभागों की संपत्ति का डेटा जुटाना है। ताकी, उसे बेचकर या किराये पर देकर राशि जुटाई जा सके। संपत्ति के मौजूदा स्वरूप की जानकारी देने के साथ, उसके मौजूदा मूल्य की जानकारी भी चाही गई है।

जन्म लेने वाले बच्चे पर 50 हजार का कर्ज

जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को टैग करते हुए लिखा है कि आखिरकार आपने भी मोदी जी की परंपरा का पालन करना शुरू कर ही दिया। कर्ज ले-लेकर जब कर्ज मिलना ही बंद हो गया, तो प्रदेश की संपत्ति बेचने का विकल्प खोज लिया गया। समझ नहीं आ रहा है आपके आर्थिक सलाहकार कौन हैं? अहंकार में डूबी बीजेपी यह भूल रही है कि इतिहास में भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए ऐसे निवेश/अनुबंध किए जाते

थे। पटवारी ने कहा मध्यप्रदेश में जन्म लेने वाले बच्चे पर भी 50 हजार से अधिक का कर्ज होता है। आप ऐसा निर्णय कैसे कर सकते हैं? जनता के मन में एक स्वाभाविक सवाल जरूर सामने आएगा कि जमीनों की खरीदी-बिक्री के इस बड़े खेल में आपका 'जमीनी-अनुभव' काम आए, क्या इसीलिए इस विकल्प को चुना गया है? जनता यह भी मानती है कि चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से इस खेल में भी 1000% गड़बड़ी होगी।

पहले की थी श्वेत पत्र जारी करने की मांग

पटवारी ने लिखा है कि उनकी स्पष्ट मान्यता और मांग है कि आर्थिक अराजकता के गहने और गंभीर दौर में फंस चुकी मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश की जनता को सरकारी खजाने की असलियत बताए। पिछले 20 साल में लिए गए कर्ज की स्थिति और देनदारी का खुलासा भी करे। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी यह मांग भी करती है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार तत्काल श्वेतपत्र जारी करे।

ब्राह्मण महासंघ की राष्ट्रीय सलाहकार बनी विजयलक्ष्मी

आष्टा,(निप्र)। विजयलक्ष्मी गणेश उपाध्याय कई प्रांतीय राष्ट्रीय पदों पर है । अभी और उनके अच्छे कार्यकाल को देखकर एक और नई जिम्मेदारी सौंपी । राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जोशी ईसान निर्मल संस्थापक एवं दिनेश पाराशरपुर कोर कमेटी राम मनोहर शर्मा प्रांतीय अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ की अनुसंशा पर विजयलक्ष्मी गणेश उपाध्याय को राष्ट्रीय सलाहकार बनाया।

नाम परिवर्तन सूचना

पुराना नामः- प्रबुध कोठारी
Old Name :- PRABUDHA KOTHARI S/O SANJAY KOTHARI नया नामः- प्रबुध कोठारी
New Name :- PRABUDDHA KOTHARI S/O SANJAY KOTHARI पूर्व में मेरा नाम प्रबुध कोठारी था, किन्तु मुझे अब मेरे नये नाम प्रबुध कोठारी पिता संजय कोठारी के नाम से जाना व पहचाना जावें ।

प्रबुध कोठारी पिता संजय कोठारी नीमच बंगला नं 46 जिला नीमच म.प्र.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हाऊसिंग बोर्ड द्वारा विकसीत हाऊसिंग बोर्ड कालोनी करही में दुकान क्रमांक 20 मंडल द्वारा श्री जयकुमार सबनानी पिता श्री बच्चामल जी सबनानी के नाम से आबंटित है। उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख निष्पादित नहीं हुआ है। श्री जयकुमार सबनानी से उक्त संपत्ति श्री राजेश पटेल पिता श्री जयरामजी पटेल ने दिनांक 25/10/1995 को क्रय कर ली थी। तथा मंडल में नामांतरण नहीं कराया गया। श्री राजेश पटेल द्वारा उक्त संपत्ति श्री किशोर भगवते पिता श्री तेजाजी भगवते को दिनांक 14/03/2008 को विक्रय कर दिया गया। वर्तमान में श्री किशोर भगवते द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन शपथ पत्र/संयुक्त शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्री किशोर भगवते पिता श्री तेजाजी भगवते के नाम से हस्तांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तिय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं कि जावेगी एवं मंडल नियमानुसार कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

संपदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग खण्डवा

जाहिर सूचना

मेरे पक्षकार इंडिया शेल्टर फाइनेन्स कारपोरेशन धार द्वारा प्राप्त जानकारी एवं निर्देशानुसार सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार द्वारा भावी ऋणी श्री बबलु पिता श्री रामचंद्र निवासी खानपुर तहसील पिथमपुर जिला धार को उनकी मालकी के पैतृक आवासीय भवन, सर्वे नं. 147, प.ह.न. 143/47 कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट ग्राम खानपुर तहसील पिथमपुर जिला धार को बंधक रखकर उस पर ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त मकान में श्री बबलु पिता श्री रामचंद्र ने अपनी पत्नी श्रीमती रंजिता पति श्री बबलु को दस्तावेज क्रमांक MP119002024 A1605973 दिनांक 17-05-2024 द्वारा सह स्वामित्व प्रदान किया है। उक्त भवन की चर्तुसीमा पूर्व में मिथुन के खाली प्लाट से हद, पश्चिम में आम रास्ते से हद, उत्तर में विक्रम के मकान से हद एवं दक्षिण में स्वयं के प्लाट से हद है। जिस किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक या वित्तीय संस्था या वारीस को स्वत्व या बंधक संबंधी कोई आपत्ति हो तो वह 07 दिवस के अंदर संलिखित प्रमाण के मेरे कार्यालय में संपर्क करे। अन्यथा बाद मियाद मेरे पक्षकार द्वारा प्रस्तावित ऋणी की उक्त संपत्ति को बंधक रखकर उस पर ऋण प्रदाय कर दिया जावेगा।
दिनांक

भवदीय
अभय रावत एडवोकेट
9, सुंदरवन कालोनी, गीत गार्डन के पास, धार
मोबाईल नंबर - 94245-80562, 80859-04049

नपा ने शुरू किया नाला-नालियों की सफाई का कार्य

आष्टा, (निप्र)। शहर में होने वाले जलभराव से निजात दिलाने के लिए नगरपालिका प्रशासन ने कमर कस ली है। क्षेत्रवार छोटे बड़े नालों एवं नालियों को अभियान के तहत जेसीबी मशीन एवं सफाई मित्रों द्वारा साफ कराए जाने का कार्य आज से वार्ड क्रमांक 16 स्थित सेमनरी रोड़ से प्रारंभ किया गया है। जिसका निरीक्षण नपाध्यक्ष प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा ने स्वच्छता अमले के साथ किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। नपाध्यक्ष प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा ने स्वच्छता अमले को निर्देशित करते हुए कहा कि बारिश में नालों में कचरा जमा होने से पानी का भराव हो जाता है, नालों व अन्य छोटी-बड़ी नालियों की समुचित साफ-सफाई की जाए, ताकि लोगों को बारिश के दिनों में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। श्री मेवाड़ा ने यह भी निर्देश दिए है कि सफाई कार्य के दौरान आमजन को परेशानियों का सामना न करना पड़े, ऐसी व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ सफाई के साथ-साथ दवाओं का भी छिड़काव कराया जाए, ताकि नगर में कोई संक्रमण न फैले। ज्ञात रहे कि नपा द्वारा प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक विनोद सांगते के निर्देशन में पृथक-पृथक दो सफाई टीम गठित की गई है जिन्होंने आज से सफाई कार्य प्रारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजेश सक्सेना, पार्षद प्रतिनिधि तेजपाल मुकाती, लखन प्रजापति आदि मौजूद थे।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी खंडवा, जिला खंडवा

प्रकरण क्रमांक 0086/अ6अ/24-25

ग्राम रामपुराकला

1. तापीराम पिता नन्नु जाति बलाही पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम रामपुराकला तहसील व जिला खंडवा ...आवेदक

विरूद्ध

1. बसंतीबाई पति स्व तापीराम उम्र 66 साल 2. मांगीलाल पिता स्व. तापीराम उम्र 42 साल 3. गंगाराम पिता स्व. तापीराम उम्र 36 साल 4. गंगाबाई पिता स्व. तापीराम उम्र 35 साल 5. रेखाबाई पिता स्व. तापीराम उम्र 33 साल सभी निवासी ग्राम रामपुराकला तह. व जिला खंडवा

6. राधेश्याम पिता स्व. तेजु उर्फ शंकर उम्र 50 साल 7. जगदीश पिता स्व. तेजु उर्फ शंकर उम्र 48 साल 8. उमाबाई स्व. तेजु उर्फ शंकर उम्र 40 साल, क्र. 6, 7, 8 निवासी ग्राम रामपुराकला तह. व जिला खंडवा

9. काशीराम पिता भाईराम उम्र 60 साल 10. श्रवण पिता भाईराम उम्र 58 साल 11. श्रीमती दगडीबाई बेवा भाईराम उम्र 85 साल 12. द्वारकाबाई पति मिश्रीलाल उम्र 75 साल जाति कुनबी सभी निवासी रामपुराकला तहसील व जिला खंडवा

13. म.प्र. शासन, 14. राजुबाई उम्र 50 साल पति रामनारायण पाटीदार निवासी रामपुराकला .....अनावेदकगण

आवेदक तापीराम पिता नन्नु के द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड खंडवा के व्यवहार वाद क्रमांक 110ए/2020 (तापीराम वि. बसंतीबाई व अन्य) में पारित निर्णय दिनांक- 04.10.2023 के आधार पर ग्राम रामपुराकला स्थित पुराना खसरा नंबर 467/3 नया खसरा नंबर 1197, पुराना खसरा नंबर 467/4 नया खसरा नंबर 1195 के मध्य त्रुटिवश स्थापित किया गया है। तथा आवेदक का पुराना खसरा नंबर 467/3 नया खसरा नंबर 1197 पुराना खसरा नंबर 467/4 नया खसरा नंबर 1195 एवं पुराना खसरा नंबर 468 नया खसरा नंबर 1196 का वर्तमान नक्शा दुरूस्त करने एवं अनावेदिका राजुबाई पति रामनारायण पाटीदार से आवेदक को खसरा नंबर 1195 रकबा 1.000 हे. भूमि पैकी रबा 0.77 हेक्टेयर भूमि का रिक्त आधिपत्य दिलाये जाने बाबत आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अनावेदकगण एवं सर्वसाधारण जिसका भी उपरोक्त संपत्ति से संबंध हो इस न्यायालय में तारीख 24.05.24 को दिन में 11 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके।

आपको सूचित किया जाता है कि आप उपर लिखे नामित व्यक्ति एवं उनके विधिक वारसान जो भी हो बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो आवेदक की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज दिनांक 22.5.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व, खंडवा म.प्र.

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है ग्राम रीछाबर्डी तहसील महू जिला इंदौर मप्र स्थित भूमि जिसका खसरा क्रमांक 41/1/6/2 कुल रकबा 1.702 हेक्टेयर ग्राम रीछाबर्डी तहसील महू जिला इंदौर पर कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश,जिला इंदौर प्रकरण क्रमांक 3537 दिनांक 07-06-2022 को आवासीय भूखंडीय अभिन्यास प्रयोजन हेतु अनुज्ञा जारी की गई है। परियोजना का नाम -MADINA ESTATE-2 परियोजना के नाम पर परिवर्तन हेतु प्रस्तावित नाम (SHREE-NATH PARADISE) आवेदन कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर में दिया जा रहा है। उक्त संदर्भ में किसी भी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो 7 दिन के अंदर प्रस्तुत करें। सो विदित होवे।

मदीना स्टेट्स एल.एल.पी. तर्फे भागीदार
मोहम्मद मुकसीद पिता मोहम्मद शमी
निवासी ग्राम करोंदिया, तहसील महू, जिला इंदौर

डी.पी. आभूषण लिमिटेड

CIN: L74999MP2017PLC043234
Regd. Office: 138, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.) – 457001, भारत
Corp. Office: 19, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.) – 457001, भारत
दूरभाष क्रमांक: +91 -7412 -490966, 408900
E-mail: cs@dpjewellers.com; Website: www.dpjewellers.com

31-03-2024 को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

आंकड़े लाख में
(प्रति अंश आय को छोड़कर)

विवरण	मानक वित्तीय परिणाम		
	समाप्त तिमाही के लिए		समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
	31-03-2024 अंकेक्षित	31-03-2023 अंकेक्षित	31-03-2024 अंकेक्षित
व्यापार से कुल आय	55685.25	38466.68	234036.74
शुद्ध लाभ (कर और असाधारण वस्तुओं से पहले)	2254.01	621.25	8338.72
शुद्ध लाभ (कर से पहले और असाधारण वस्तुओं के बाद)	2254.01	621.25	8338.72
शुद्ध लाभ (कर और असाधारण वस्तुओं के बाद)	1619.58	448.17	6186.21
कुल व्यापक आय (कर एवं अन्य व्यापक आय के बाद)	1626.62	448.99	6180.07
सामान्य अंश पूंजी (प्रति अंश रुपया 10/-)	2225.49	2225.49	2225.49
संचय (पिछले वर्ष की अंकेक्षित तलपट के अनुसार पुनर्मूल्यांकित संचय को छोड़कर)			21649.57
प्रति अंश आय (जारी और बंद किए गए व्यापार के लिए)			
मूल: (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किये)	7.28	2.01	27.80
मिश्रित: (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किये)	7.28	2.01	27.80

टिप्पणियाँ:
उपरोक्त वित्तीय परिणाम सेबी (सूचि निर्धारण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बी एस ई लिमिटेड के साथ दायर वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक भाग है। 31-03-2024 को समाप्त तिमाही वित्तीय परिणाम NSE एवं BSE की वेबसाइट www.nseindia.com, www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.dpjewellers.com पर उपलब्ध हैं।

डी. पी. आभूषण लिमिटेड
–एस डी –
संतोष कटारिया, प्रबंध निर्देशक
DIN - 02855068

दिनांक: 21 मई, 2024
स्थान: रतलाम

Kriti Nutrients Ltd.

Kriti® COOKING OIL — Kriti Group
CIN : L24132MP1996PLC011245
Regd. Office: Mehta Chambers, 34, Siyaganj, Indore-452 007 Phone: 0731-2719100/ 26, Fax: 2704506
E-mail: cs@kritiindia.com; Website: www.kritinutrients.com

Notice of 28th Annual General Meeting to be held through Video Conferencing / Other Audio Visual Means

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Tuesday, 18th June, 2024 at 4:30 P.M. IST** through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 02/2021 dated January 30, 2021, 2/2022 dated May 5, 2022 and 10/2022 dated December 28, 2022 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25, 2023 issued by Ministry of Corporate affairs ("MCA Circulars") and Master Circular Nos. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Master Circular"), permitting the holding of AGM through VC/OAVM without physical presence of members at a common venue. Members will be provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of 28th AGM and Annual report for the financial year 2023-24 will be sent to all the Shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). If you have not registered your email address with the Company/Depository Participant(s) you may please follow below instructions for registering/updating your email addresses:

Physical Holding	Please send a request to the Company/Registrar and Share Transfer Agent providing Folio No., Name of Shareholder, Scanned Copy of the share certificate (front and back), self attested copy of PAN Card and any of Driving License, Election Identity Card, Aadhar Card and Passport for registering email address.
Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details as per process advised by your DP.

Members may note that the Notice of 28th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be available on the Company's Website at www.kritinutrients.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com/. The Notice of 28th AGM will also be available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses set out in the AGM Notice through remote e-voting/e-voting during the AGM. The detailed procedure of remote e-voting/e-voting during the AGM by Members holding shares in physical mode and members, who have not registered their email ID with the Company, will be provided in the AGM Notice.

Members please note that SEBI, vide its master circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 7, 2024, by rescinding earlier circulars, has mandated Members holding shares in physical form to submit PAN, nomination, contact details, bank account details and specimen signature in specified forms. Members may access https://www.kritinutrients.com/standard-documents-for-investors or https://www.ankitonline.com/documents.aspx for Form ISR-1 to register PAN/email id/bank details/other KYC details, Form ISR-2 to update signature and Form ISR-3 for declaration to opt out. Members may make service requests by submitting a duly filled and signed Form ISR-4 & ISR-5, the format of which is available on the Company's website and on the website of the Company's Registrar and Transfer Agent. In case a holder of physical securities whose folio do not have aforesaid details updated shall be eligible to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing PAN, KYC details and Nomination and for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

By order of the Board
For **Kriti Nutrients Limited**
Sd/-
Raj Kumar Bhawsar
Company Secretary

Place: **Indore**
Date: **21st May, 2024**